

उम्मेद अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

18/2020

06.01.2020

अनवान

श्री रामनिवास पिता नारायण मीणा नि. दरगाह बिलेठा तह0 जहाजपुर
प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री भंवर पिता नारायण मीणा नि. दरगाह बिलेठा तह0 जहाजपुर
2. श्री पप्पू पिता जीवन राजपूत नि. बिलेठा तह0 जहाजपुर
3. श्री महादेव मुत सालगा मीणा नि. दरगाह बिलेठा
4. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 03.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम बिलेठा प0 ह0 बिलेठा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1381/4 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 1382/2 रकबा 1.10 बीघा, आ.न. 1381/3 रकबा 1.11 बीघा भूमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की तार्ईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बिलेठा प0 ह0 बिलेठा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1381/4 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 1382/2 रकबा 1.10 बीघा, आ.न. 1381/3 रकबा 1.11 बीघा भूमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)

उपरखण्ड अधिकारी,
उपरखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)